

# मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

## कानूनी विधार्य सुची

मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 1994 (अश्वायण 15, 1916)

समय 10.30 बजे तिथि

### 1. निधन उल्लेख

श्री शेरशीलराज देशमुख, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

### 2. प्रबन्धोत्तर

पृथकतः वितरित सुची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) श्री डोमनसिंह नगपुरे, सदस्य, बालाघाट जिले के खेरलांजी विधान सभा शेष के अनेक ग्रामों में आपका राहत राशि न मिल पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री प्रेमसिंह सिंदार, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम हलदी छरिया में आंतरिक से दुई मौतों की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पिपरिया कला में उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति,

(2) श्री शीलेन्द्र प्रधान, सदस्य, खोपाल के लिपिहिया बाहनों (ऑटोरिक्षा) के पीछे पारदर्शी फाइबर ग्लास लगवाये जाने,

(3) श्री अल्लुलाल लेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -

- (क) बहिन नदी पर पुल बनाये जाने,
- (ख) चूलहापाठ नाले पर सिंचाई हेतु जलाशय का निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम सलवाह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा खोले जाने; तथा
- (घ) ग्राम सलवाह में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,

के संबंध में याचिकाओं प्रस्तुत करेंगे।

### 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 36 सन् 1994) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

(2) श्री प्यारे लाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 37 सन् 1994) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

#### निर्धारित समय

1 घन्टा  
30 मि.

1 घन्टा  
30 मि.

2 घन्टे

### 6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1990-91 (अनुभाग-1) पर चर्चा।

(2) जावाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1986-87 (अनुभाग 1, 2, व 3), वर्ष 1987-88 (अनुभाग-1), वर्ष 1988-89 (अनुभाग 1 व 2), वर्ष 1989-90 (अनुभाग 1 व 2); तथा वर्ष 1990-91 पर चर्चा।

(3) लोक आयुक्त संगठन का आठवीं, नवी तथा दसवीं वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः (दिनांक 1.4.89 से 31.3.90 तक), (दिनांक 1.4.90 से 31.3.91 तक); तथा (दिनांक 1.4.91 से 31.3.92 तक) पर चर्चा।